न्यूज़ टुडे

सरकार अगले पांच वर्षों में 2 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में शहरी सहकारी बैंक (UCBs) स्थापित करेगी

नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी के सहकारिता कुंभ (को-ऑप कुंभ 2025) का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने UCBs की स्थापना संबंधी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

- इसके अलावा, सरकार ने **सहकार डिजी-पे और सहकार डिजी-लोन** एप्लिकेशन भी लॉन्च किए। ये **सबसे छोटे UCBs को भी डिजिटल भुगतान और ऋण सुविधाएं** प्रदान करने में सक्षम बनाएंगे।

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के बारे में

- UCBs भारत में **सहकारी बैंकों का एक उपसमूह** हैं, जो मुख्य रूप से **शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों** में संचालित होते हैं।
- **इतिहास: सहकारी ऋण सोसायटी अधिनियम, 1904 और इसके 1912 के संशोधन** ने इनकी स्थापना के लिए कानूनी आधार तैयार किया था।
- **पंजीकरण:** ये संबंधित **राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों** (एकल-राज्य संचालन के लिए) या **बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002** (कई राज्यों में संचालन के लिए) के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं।
- **नियंत्रण और विनियमन:** UCBs एक **दोहरी विनियामक संरचना** के तहत कार्य करते हैं:
  - **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** वर्ष **1966** में इस कानून में एक संशोधन के माध्यम से UCBs को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।
  - **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** इसने भारतीय रिज़र्व बैंक को UCBs पर अधिक नियंत्रण प्रदान किया है। इससे वह उनके प्रबंधन और प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता है।
  - **सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार (RCS):** संबंधित राज्य सरकारें या केंद्र सरकार RCS के माध्यम से UCBs के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं।

UCBs का महत्त्व

- **वित्तीय समावेशन:** UCBs मुख्य रूप से **लघु उधारकर्ताओं और कम आय वाले समूहों** को सेवा प्रदान करते हैं।
- **स्थानीय स्तर पर क्रियाशील:** UCBs विशिष्ट समुदायों के बीच कार्य करते हैं और उनके **अनुरूप वित्तीय सेवाएं** प्रदान करते हैं।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL):** UCBs को अपने **कुल ऋणों का 60%** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों के लिए निर्धारित करना अनिवार्य है।

UCBs के समक्ष चुनौतियां

- ये कुछ राज्यों **(जैसे- आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि)** में ही स्थापित किए गए हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और राज्य सहकारी निकायों द्वारा **दोहरा विनियमन।**
- लघु वित्त बैंकों (SFBs), फिनटेक (FinTechs) आदि के साथ **तीव्र बाजार प्रतिस्पर्धा।**

डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम (DRAP) का शुभारंभ किया गया

DRAP को **स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 (SBM-U 2.0)** के तहत शुरू किया गया है। यह लगभग एक वर्ष तक चलने वाली लक्षित पहल है। इसे **सितंबर 2026 तक "लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट्स"** का उद्देश्य पूरा करने के लिए शुरू किया गया है।

- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 को 2021** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सभी शहरों के लिए **कचरा-मुक्त** का दर्जा सुनिश्चित करना है।
  - इस मिशन का एक अन्य उद्देश्य सभी **पुराने कूड़े के ढेर वाले स्थलों (legacy dumpsites)** की सफाई करना और उन्हें **हरित क्षेत्रों** में बदलना है।

डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम के बारे में

- **उद्देश्य:** विशाल 'कचरे वाले स्थलों' की सफाई को प्राथमिकता देना। इनमें लगभग **8.8 करोड़ मीट्रिक टन पुराने अपशिष्टों** यानी **लीगेसी वेस्ट** को हटाने पर ध्यान दिया जाएगा।
  - **लीगेसी वेस्ट** से आशय वास्तव में **लैंडफिल या डंपसाइट में** नगर निगम के पुराने अपशिष्ट से है। इनमें पूरी तरह या आंशिक रूप से अपघटित हो चुके जैव-निम्नीकृत (Biodegradable) अपशिष्ट, **प्लास्टिक अपशिष्ट,** आदि शामिल हैं।
  - देश का लगभग 80% लीगेसी वेस्ट 202 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में 214 स्थलों पर केंद्रित है।
- **क्रियान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)**
- **पात्रता:** सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें लेगेसी वेस्ट से जुड़ी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के तहत **45,000 मीट्रिक टन से अधिक लेगेसी वेस्ट** वाले स्थलों को **प्राथमिकता** दी जाएगी।
  - **केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों** के लिए अपशिष्ट की कोई न्यूनतम सीमा नहीं रखी गई है।

भारत में डंपसाइट्स की स्थिति और प्रबंधन

- **वर्तमान स्थिति:** 1,428 डंपसाइट्स में सफाई का काम चल रहा है, जिनमें से **1,048 पूरी तरह साफ की जा चुकी हैं।**
- **प्रमुख उत्सर्जन और प्रदूषण की चिंताएं:**
  - **निक्षालन (Leachate):** यह **डंपसाइट्स के अपशिष्ट** के नीचे से निकलने वाला प्रदूषित तरल पदार्थ है।
  - **लैंडफिल गैस: कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन** का मिश्रण, जो ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में अपशिष्ट के सड़ने से बनता है।

डंपसाइट के प्रबंधन की प्रमुख तकनीकें

बायोकैपिंग

- **आशय:** डंपसाइट को अपशिष्ट स्थल से एक **हरित क्षेत्र**-जैसे कि पार्क में बदलना।
- **चुनौतियां:** इस क्रम में **लीचेट और लैंडफिल गैस** का उत्पादन होता है, जिनसे निपटना होता है।
  - इनका कम से कम 15 वर्षों तक रखरखाव करना पड़ता है।

जैव-खनन (Biomining)

- **आशय:** सूक्ष्मजीवों की मदद से अपशिष्ट से आर्थिक रूप से उपयोगी पदार्थ निकालना।
- **लाभ:** लीचेट और गैस उत्सर्जन की समस्या नहीं रहती।
  - जब भूमि पूरी तरह साफ हो जाती है, तो आगे निगरानी की आवश्यकता नहीं रहती।

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के अनुसार भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) आने वाले वर्षों में 300 अरब डॉलर की हो जाएगी

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने **जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) के द्वितीय स्थापना दिवस** को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने भारत की जैव-अर्थव्यवस्था के 300 अरब डॉलर के हो जाने की संभावना व्यक्त की।

- इस अवसर पर उन्होंने फरीदाबाद में 200 एकड़ में फैले **BRIC-बायो-एंटरप्राइज इनोवेशन पार्क** की स्थापना की योजना की भी घोषणा की।
- गौरतलब है कि **BRIC की स्थापना 2023 में हुई** थी। इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा **14 स्वायत्त संस्थानों को मिलाकर** स्थापित किया गया है।

जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) क्या है?

- **आशय:** जैव-अर्थव्यवस्था वास्तव में **नवीकरणीय जैव-संसाधनों का उपयोग** करके **खाद्य पदार्थ, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन** करना है। यह **संधारणीयता** और **आर्थिक संवृद्धि** को बढ़ावा देती है।
- **महत्त्व:** यह पर्यावरण को हो रहे नुकसान जैसी चुनौतियों का संधारणीय (Sustainable) समाधान प्रदान करती है और समाज के **समग्र कल्याण को बढ़ावा** देती है।
- **भारत की जैव-अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति:**
  - **तेज संवृद्धि:** भारत की जैव-अर्थव्यवस्था **2014 में 10 अरब डॉलर** की थी, जो बढ़कर **2024 में 165.7 अरब डॉलर** की हो गई। 2030 तक इसके **300 अरब डॉलर का हो जाने का लक्ष्य** रखा गया है।
  - **अग्रणी राज्य (2024):** जैव-अर्थव्यवस्था के मामले में **महाराष्ट्र पहले स्थान पर** है, उसके बाद **कर्नाटक** का स्थान है।

भारत में जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें

- **BioE3 नीति:** BioE3 से आशय है; **अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी**। 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दी थी।
  - इस नीति का उद्देश्य उच्च-प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देकर **अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा रोजगार** नामक तीन मुख्य आधारों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है।
- **राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM)–इनोवेट इन इंडिया (i3):** इसे **जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)** द्वारा लागू किया जा रहा है।
  - इस मिशन को **विश्व बैंक भी 250 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण** प्रदान कर रहा है।
  - यह मिशन **100 से अधिक परियोजनाओं** और **30 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को सहायता प्रदान कर रहा है।
  - **BIRAC के बारे में:** यह भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8** के तहत पंजीकृत एक **गैर-लाभकारी संस्था है**। साथ ही, यह **अनुसूची-B श्रेणी की एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था** है।
    - यह भारत सरकार के **जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के तहत** कार्य करती है।
- **जैव-ऊर्जा:** भारत ने 20% इथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य मूल समय-सीमा 2030 से पाँच वर्ष पहले, 2025 में ही प्राप्त कर लिया है।

जैव-अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख उपक्षेत्रक

जैव-औद्योगिक (47%): जैव-ईंधन, बायोप्लास्टिक, विभिन्न उद्योगों में एंजाइम आधारित अनुप्रयोग आदि।

बायोफार्मा (35%): औषधियां, चिकित्सा उपकरण, बायोलॉजिक्स आदि।

जैव-कृषि (8%): आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें, परिशुद्ध कृषि और जैव-आधारित उत्पाद (जैसे-बीटी कपास)।

जैव-अनुसंधान (9%): क्लीनिकल ट्रायल, जैव-सूचनाविज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर आदि।

भारत का विकास-सहयोग मॉडल: पारंपरिक सहायता का एक विशिष्ट विकल्प

भारत का विकास-सहयोग मॉडल **स्थानीय स्वामित्व को वैश्विक विश्वसनीयता** के साथ मिश्रित करने का प्रयास करता है। यह **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** के लिए एक नया दृष्टिकोण परिभाषित करता है, जो केवल सहायता पर निर्भरता से आगे बढ़ने पर बल देता है।

भारत के विकास-सहयोग मॉडल की मुख्य विशेषताएं

- **मांग-संचालित अप्रोच:** इसका अर्थ है कि प्रस्ताव **साझेदार सरकारों** से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए- **भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष**।
  - इस कोष की स्थापना **2017 में संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय (UNOSSC)** के तहत की गई थी।
- **क्षमता निर्माण पर बल:** इसमें स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षित करना; संस्थाओं को मजबूत करना और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना शामिल है।
  - **उदाहरण के लिए:** विदेश मंत्रालय का **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC)** 160 से अधिक देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका है।
- **सुभेद्य देशों को प्राथमिकता:** जैसे- अल्प विकसित देश (LDCs), लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS)।
  - **उदाहरण के लिए: भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (IDEAS),** जो **भारतीय आयात-निर्यात बैंक** के माध्यम से **अफ्रीकी व गैर-अफ्रीकी** विकासशील देशों को **लाइन ऑफ क्रेडिट** प्रदान करती है।
- **स्थानीय स्वामित्व और बहुपक्षीय विश्वसनीयता का मिश्रण:** संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी करके कार्यान्वयन पारदर्शी हो जाता है। इससे पहलों को द्विपक्षीय राजनीति से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है।
  - **उदाहरण के लिए:** विदेश मंत्रालय के तहत **भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल**।
- **अन्य विशेषताएं:** संप्रभुता का सम्मान करना, लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना, बिना शर्तों वाला समर्थन देना आदि।
  - **उदाहरण के लिए: वैक्सीन मैत्री** पहल आदि।

चीन का विकास मॉडल

- **आपूर्ति-आधारित** यानी लगभग सभी परियोजनाएं चीन द्वारा शुरू की जाती हैं।
- परियोजनाएं **रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव** से प्रेरित होती हैं (जैसे- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव**)।
- आर्थिक रूप से सुभेद्य विकासशील देशों को बड़ी मात्रा में धन उधार देना (**ऋण जाल कूटनीति**)।

विकास-सहयोग मॉडल को और मजबूत करने के लिए भारत की संभावित पहलें

- **पारदर्शिता और निगरानी:** एक रियल-टाइम परिणाम डैशबोर्ड स्थापित करना, जो परिणामों व निर्गतों को समेकित करेगा।
- **समावेशी साझेदारी:** स्थानीय हितधारकों को शामिल करना। **उदाहरण के लिए-** नागरिक समाज, निजी क्षेत्रक, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम, देशज लोग आदि।
- **आवधिक मूल्यांकन करना:** यह सुनिश्चित करना कि मॉडल विकसित हो रही वैश्विक चुनौतियों के अनुकूल बना रहे। **उदाहरण के लिए-** जलवायु परिवर्तन, देश में राजनीतिक परिवर्तन आदि।

अन्य सुर्खियां

मित्र शक्ति अभ्यास

भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी में शुरू हुआ।

मित्र शक्ति अभ्यास के बारे में

- यह **भारतीय थल सेना और श्रीलंकाई थल सेना** के बीच एक द्विपक्षीय **वार्षिक** संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- इसे बारी-बारी से भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जाता है।

विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (WAICO)

हाल ही में, **दक्षिण कोरिया में आयोजित APEC (एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग)** बैठक में, **चीन** ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मानदंडों को शासित करने के लिए एक वैश्विक निकाय, WAICO का समर्थन किया।

WAICO के बारे में

- **लक्ष्य:** वैश्विक सहयोग के लिए **वैश्विक मानकों को आकार** देना।
  - यह **चीन** की 2023 की **वैश्विक AI गवर्नेंस पहल** के सिद्धांतों को शामिल करता है। इसमें **मानव-केंद्रित डिज़ाइन, डेटा संप्रभुता और एल्गोरिदम पारदर्शिता** पर बल दिया गया है।
- **घोषणा:** इसकी घोषणा **शंघाई** में आयोजित **विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन, 2025** के दौरान की गई थी।
- **प्रमुख उद्देश्य:** AI गवर्नेंस की अंतर्राष्ट्रीय संरचना की पुनर्कल्पना करना, चीन को **संयुक्त राज्य अमेरिका के विकल्प** के रूप में स्थापित करना, और चीन की सॉफ्ट पावर का उपयोग करना।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs)

केंद्र सरकार उद्योगों पर आदेशों के अनुपालन बोझ को कम करने तथा विनिर्माण और निर्यात को सुगम बनाने के लिए कुछ **गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) की आवश्यकताओं में ढील** दे सकती है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCOs) के बारे में

- **कानूनी ढांचा:** केंद्र सरकार, **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से परामर्श** करने के बाद QCO जारी करती है। यह आदेश **BIS अधिनियम, 2016** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है। इससे उत्पाद **BIS अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत** आ जाते हैं।
- **अनिवार्य प्रकृति:**
  - हालांकि, **BIS प्रमाणन मूल रूप से स्वैच्छिक** है, लेकिन **जनहित, मानव, पशु या वनस्पतियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा,** आदि के कारण कुछ उत्पादों के लिए **BIS प्रमाणन अनिवार्य** हो जाता है।
  - QCOs के तहत ऐसे उत्पादों को **BIS से लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाण-पत्र (Certificate of Conformity - CoC) के तहत मानक चिह्न (Standard Mark) का अनिवार्य उपयोग** करना पड़ता है।

नीयोडिमियम (Neodymium)

भारत **वित्त वर्ष 2027** के अंत तक अपने **नियोडिमियम उत्पादन को 500 टन** तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य **दुर्लभ भू-तत्वों (rare earth elements) में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा** देना है।

नियोडिमियम के बारे में

- **श्रेणी:** लैंथेनाइड धातु (Lanthanide Metal)।
  - यह **वैश्विक दुर्लभ-भू चुंबक उद्योग** में एक महत्वपूर्ण घटक है, जो **इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और रक्षा प्रणालियों** के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- **स्वरूप: चमकीली व चांदी जैसे एवं पीले रंग** की धातु है। वायु के संपर्क में आने से इसकी **चमक तेजी से घटने** लगती है।
- **प्रमुख उपयोग:**
  - **लौह व बोरॉन** के साथ मिश्र धातु में **बहुत मजबूत स्थायी चुंबक** बनाने में उपयोग होता है।
  - लेजर (lasers) बनाने में।
  - आँख की और कॉस्मेटिक सर्जरी में, त्वचा कैंसर के उपचार में आदि।
- **स्रोत: मोनाजाइट और बैस्टनेसाइट** (अधिकांश लैंथेनाइड तत्वों की तरह)।

जलवायु निवेश कोष (CIF)

स्पेन और जर्मनी ने CIF के 'एक्सीलरेटिंग रेजिलिएंस इन्वेस्टमेंट्स एंड इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज (ARISE)' के लिए **100 मिलियन डॉलर** देने की प्रतिबद्धता प्रकट की। यह प्रतिबद्धता **ब्राजील** में आयोजित हो रहे **UNFCCC के COP-30** के दौरान प्रकट की गई है।

- **ARISE का उद्देश्य:** विकासशील देशों की **"जलवायु जोखिम को अवसर में बदलने"** और अर्थव्यवस्थाओं की **"अनुकूलन क्षमता"** को मजबूत करने में मदद करना।

जलवायु निवेश कोष (CIF) के बारे में

- **स्थापना:** इसकी स्थापना **2008 में वैश्विक और क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंकों** द्वारा की गई थी।
- **परिचय:** यह एक **बहुपक्षीय जलवायु कोष** है, जो **70 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों** में जलवायु कार्रवाई को सक्षम बनाता है।
- **मुख्य विशेषता:** यह ऐसा वित्त-पोषण प्रदान करता है, जो विकासशील देशों को **निम्न-कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रमों** को अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल करने में सक्षम बनाता है।
- **वर्तमान कोष:** वर्तमान में, CIF के 2 मुख्य कोष हैं:
  - स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष; तथा
  - रणनीतिक जलवायु कोष।

ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य (GFS)

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) द्वारा प्रस्तावित **50-मेगावाट** का एक पवन फार्म **ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य** को प्रभावित कर सकता है।

- ये **अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोप** तक पाए जाते हैं।
  - प्रजनन के मौसम के दौरान ये आमतौर पर **उथली, लवणीय और क्षारीय (alkaline) आर्द्रभूमियों (wetlands)** में पाए जाते हैं।

ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य (GFS) के बारे में

- **स्थापना: तमिलनाडु सरकार** द्वारा **धनुषकोडी** में की गई है।
- **उद्देश्य: मध्य एशियाई उड़ान मार्ग (Central Asian Flyway)** में आने वाले प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण पर्यावासों की रक्षा करना।
  - **मध्य एशियाई उड़ान मार्ग:** यूरेशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ने वाला एक प्रमुख प्रवासी पक्षी मार्ग।
- **अवस्थिति:** यह **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिज़र्व** में स्थित है।

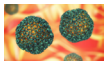

रिफ्ट वैली फीवर (RVF)

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने पश्चिमी अफ्रीका के **मॉरितानिया और सेनेगल** को प्रभावित करने वाले RVF के प्रकोप की पुष्टि की।

रिफ्ट वैली फीवर (RVF) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसका नाम **केन्या की रिफ्ट वैली** से लिया गया है, जहां **1930 के दशक की शुरुआत** में इस रोग की पहचान की गई थी।
- **कारण:** यह **फेनुविरिडे (Phenuiviridae) कुल** से संबंधित एक विषाणु **फ्लेबोवायरस (Phlebovirus)** के कारण होता है।
- **संचरण:**
  - यह मुख्य रूप से **जानवरों** को प्रभावित करता है (जैसे- मवेशी, आदि)।
  - मनुष्य संक्रमित जानवरों के **निकट संपर्क** में आने से या संक्रमित **मच्छरों** के काटने से संक्रमित होते हैं।
  - यह रोग **एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता** है।
- **उपचार:** वर्तमान में, कोई विशिष्ट **एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं** है। हालांकि, **जानवरों के लिए टीके** मौजूद हैं।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

वियतनाम (राजधानी: हनोई)

भारत-वियतनाम रक्षा नीति संवाद (DPD) का 15वां संस्करण वियतनाम के **हनोई** में आयोजित किया गया।

भौगोलिक अवस्थिति

- **अवस्थिति: दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि** के पूर्वी भाग में स्थित है।
- **सीमाएं:** इसके उत्तर में **चीन** तथा पश्चिम में **लाओस और कंबोडिया** स्थित हैं।
- **समुद्री सीमाएं:** इसके पूर्व व दक्षिण में **दक्षिण चीन सागर** तथा दक्षिण-पश्चिम में **थाईलैंड की खाड़ी** स्थित है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **जलवायु:** उष्णकटिबंधीय।
- **प्रमुख नदियां: मेकांग** नदी और **रेड** नदी।
  - दोनों नदियां **दक्षिण चीन सागर** में बहते हुए **डेल्टा** का निर्माण करती हैं।
- **प्रमुख पर्वत: अन्नम कॉर्डिलेरा, जो मध्य वियतनाम में उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व** तक फैला हुआ है।